प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.03.2026

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर जनमानस की भावनाओं को आहत करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.03.2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें थाना निवाड़ी के क्षेत्रांतर्गत कुछ युवकों द्वारा वीडियो बनाकर आपत्तिजनक शब्दों / डायलॉग को एड कर वायरल किया गया तथा जनमानस की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया, जिसके सम्बन्ध में गाजियाबाद पुलिस को सोशल मीडिया एक्स पर कुछ लोगों द्वारा ट्वीट कर तथा कस्बा निवाड़ी की जनता द्वारा आपत्ति प्रकट की गयी।

तत्पश्चात थाना निवाडी पुलिस द्वारा सूचना का संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे उपरोक्त व्यक्तियों 1. समीर (उर्फ भोलू) पुत्र खुर्शीद, 2.समीर पुत्र सलीम, 3. मुजाहिद पुत्र इकरामुद्दीन, 4.दानिश पुत्र युनूस, 5. जुनैद पुत्र रहमत निवासीगण कस्बा व थाना निवाड़ी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. समीर (उर्फ भोलू) पुत्र खुर्शीद निवासी कस्बा व थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष
2. समीर पुत्र सलीम निवासी कस्बा व थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष
3. मुजाहिद पुत्र इकरामुद्दीन निवासी कस्बा व थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष
4. दानिश पुत्र युनूस निवासी कस्बा व थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष
5. जुनैद पुत्र रहमत निवासी कस्बा व थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा मारपीट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.03.2026 को थाना निवाड़ी पर आवेदक जीशान पुत्र सफाकत निवासी ग्राम नगला मूसा थाना निवाड़ी गाजियाबाद ने तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण जावेद आदि द्वारा आवेदक व आवेदक के भाई के साथ मारपीट कर उन्हें गम्भीर रुप से घायल कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाड़ी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 22.03.2026 को थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. जावेद पुत्र वाजिद 2. मारुफ पुत्र वाजिद निवासीगण ग्राम नगला मूसा थाना निवाड़ी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि रुपयों के लेनदेन को लेकर हम दोनों पक्षों में कहासुनी हो गयी थी जिसके बाद बात ज्यादा बढ़ गयी और मारपीट हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. जावेद पुत्र वाजिद निवासी ग्राम नगला मूसा थाना निवाड़ी गाजियाबाद, उम्र करीब 45 वर्ष
2. मारुफ पुत्र वाजिद निवासी ग्राम नगला मूसा थाना निवाड़ी गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.06.2025 को थाना लोनी पर वादिया की प्राप्त तहरीर कि अभियुक्त वकील पुत्र जफीरा निवासी पावी सादकपुर ट्रोनिका सिटी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 43 वर्ष द्वारा वादिया के साथ धोखाधड़ी करके प्लाट को विक्रय करने के नाम पर पैसे ले लेना व प्लाट का बैनामा न करना और नहीं पैसे वापस करना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा-318(4)/316(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान वादी के बयान व साक्ष्य के आधार पर अभियोग में धारा 338/336(3)/340(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी व धारा 316(2) का लोप किया गया। मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना धारा- 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस में सम्पादित की जा रही है । अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 23.03.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त वकील पुत्र जफीरा निवासी पावी सादकपुर ट्रोनिका सिटी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 43 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं वादिया को पहले से जानाता हूँ। मैंने प्लाट का बैनामा करने के नाम पर धोखाधड़ी करके रुपये ले लिये थे न तो मैंने वादिया को प्लाट का बैनामा किया और न ही पैसे वापस किये बल्कि मैंने फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लाट का बैनामा किसी अन्य व्यक्ति के नाम कराकर कब्जा दिला दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अभियुक्त वकील पुत्र जफीरा निवासी पावी सादकपुर ट्रोनिका सिटी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 43 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की घटना कारित करने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 23.02.2026 को थाना टीलामोड पर वादिया की लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त आशू अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया। जिसके सम्बन्ध में थाना टीलामोड़ पर धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में दिनांक 22.03.2026 को थाना टीलामोड़ टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना करने वाला वांछित 01 अभियुक्त आशीष उर्फ आशू पुत्र प्रवेश निवासी ग्राम अचौरा थाना उझानी जिला बदायूं उम्र करीब 20 वर्ष को ग्राम अचौरी से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 137(2) बीएनएस में धारा 64(2)m बीएनएस व 5(L)/6 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त व पीड़िता दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, जब घर वालों द्वारा इसका विरोध किया गया तो अभियुक्त पीड़िता को लेकर अपने घर बदायूं चला गया था। जहाँ अभियुक्त ने वादिया की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आशीष उर्फ आशू पुत्र प्रवेश निवासी ग्राम अचौरा थाना उझानी जिला बदायूं उम्र करीब 20 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त आशीष उर्फ आशू उपरोक्त के विरूद्ध थाना टीलामोड़ पर दुष्कर्म के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।